सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 380 राँची, बुधवार, 17 जून, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

17 जनवरी, 2024

विषयः- केन्द्र प्रायोजित मिशन शक्ति के तहत् संचालित विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए इनके पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण निमित्त ''महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु केन्द्र [Hub for Empowerment of Women (HEW)] के कार्यान्वयन हेतु योजना'' की स्वीकृति।

ज्ञापांकः-05/म.स./योजना-65/2023-114--महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु एक समग्र एवं समेकित योजना "मिशन शक्ति" का क्रियान्वित है। इसके तहत् "संबल" तथा "सामर्थ्य" घटक कार्यक्रमों के तहत् निम्न योजनाएँ क्रियान्वित कराई जानी है:-

<u>संबल अन्तर्गत</u>

(i) वन स्टॉप सेन्टर (OSC)

(ii) महिला हेल्प लाईन (WHL)

(iii) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP)

(iv) नारी अदालत

सामर्थ्य अन्तर्गत

(i) शक्ति सदन (स्वाधार गृह एवं उज्जवला योजना)

(ii) कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना (पालना)

(iii) कामकाजी महिला छात्रावास (सखी निवास)

(iv) महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु केन्द्र (WHL)

(v) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

2. उपर्युक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के सुचारू कार्यान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से दिशा-निर्देशांक-WW-23/1/2021-WW, दिनांक-14.07.2022 के माध्यम से विस्तृत मार्गनिर्देश निर्गत है। भारत सरकार द्वारा मिशन शक्ति का संचालन पन्द्रहवी वित्त आयोग की अवधि यथा-वर्ष-2021-2026 की अवधि हेतु कार्यान्वित कराया जाना संसूचित है।

3. महिलाओं के कल्याणार्थ केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से समन्वय स्थापित कर महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कार्य करने तथा केन्द्र प्रायोजित ‘‘मिशन शक्ति" के तहत् संचालित विभिन्न योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु इनके पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण आवश्यक है। इन उद्देश्य को फलीभूत करने निमित्त "महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु केन्द्र" योजना के कार्यान्वयन का निर्देश भारत सरकार से प्राप्त है। इसके तहत् राज्य स्तर पर State Hub for Empowerment of Women (SHEW) तथा जिला स्तर पर District Hub for Empowerment of Women (DHEW) के रूप में गठन एवं इन केन्द्रों में मानव बल एवं संसाधन की व्यवस्था प्रावधानित है।

4. उपर्युक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त योजना कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

i. केन्द्र प्रायोजित मिशन शक्ति के तहत् संचालित विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए इनके पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण निमित्त ‘‘महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु केन्द्र [Hub for Empowerment of Women (HEW)] के कार्यान्वयन हेतु योजना का अगले आदेश तक के लिए संचालन किया जायेगा।

ii. योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से मार्ग निर्देशांक- WW-23/1/2021-WW, दिनांक-14.07.2022 एवं समय-समय पर प्राप्त दिशानिर्देशों के आलोक में के अनुपालन में किया जायेगा।

iii. योजना के तहत् राज्य स्तर पर एक महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राज्य केन्द्र [State Hub for Empowerment of Women (SHEW)] तथा जिलास्तर पर एक-एक महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु जिला केन्द्र [District Hub for Empowerment of Women (DHEW)] के गठन किया जायेगा।

iv. योजनान्तर्गत संचालित इन केन्द्रों में निम्न वर्णित मानव संसाधन की व्यवस्था की जायेगीः-

a. Human Resource @ State Hub for Empowerment of Women (SHEW)]

Sl.	Position	No. of Posts	Consolidated Remuneration/month/staff	Annual Expenditure (Rs.)
1.	State Mission Coordinator	01	40,000/-	4,80,000/-
2.	Gender Specialist	02	35,000/-	8,40,000/-
3.	Research & Training Specialist	02	30,000/-	7,20,000/-
4.	Accounts Assistant	01	30,000/-	3,60,000/-
5.	Office Assistant with computer knowledge	01	21,000/-	2,52,000/-
6.	MTS	01	14,000/-	1,68,000/-
Total		**08**	**2,35,000/-**	**28,20,000/-**

b. Human Resource @ District Hub for Empowerment of Women (DHEW)]

Sl.	Position	No. of Posts	Consolidated Remuneration/month/staff	Annual Expenditure (Rs.)
1.	District Mission Coordinator	24	35,000/-	1,00,80,000/-
2.	Gender specialist	48	27,000/-	1,55,52,000/-
3.	Specialist in financial literacy	24	27,000/-	77,76,000/-
4.	Accounts Assistant	24	24,000/-	69,12,000/-,
5.	DEO for PMMVY Worker	24	18,000/-	51,84,000/-
6.	MTS	24	12,000	34,56,000/-
Total		**168**	**40,80,000/-**	**4,89,60,000/-**

v. उपर्युक्त कर्मियों के पद बाह्य स्त्रोत के आधार पर सृजित होंगे। कर्मियों की सेवा Outsource करने वाली संस्थाओं का खुली निविदा के माध्यम से चयन कर उनसे उपर्युक्त कर्मियों को Outsource किया जायेगा।

एतद् हेतु इन सेवाओं संबंधी क्रय एवं आपूर्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं एवं प्रावधानित नियमों के अनुपालन में प्राप्त किया जायेगा।

vi. उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हता एवं अनुभव निम्नवत् होगा :-

a. Human Resource @ State Hub for Empowerment of Women (SHEW)]

Sl.	Name of Post	Qualification & Experience
1.	State Mission Coordinator	**Qualification:** Post Graduate in Social Sciences (Management/Sociology/ Psychology/Anthropology/Labour & Social Welfare)/Life sciences (Botany/ Zoology/ Microbiology/Biotechnology/Biochemistry)/Nutrition/Medicine/Health management/ Social work/ Rural management. **Experience**: At least 3 years' experience of working with the Government/Non-Government organizations in related domain.
2.	Gender	**Qualification**: Post Graduate in Social Sciences (Management/Sociology/ Psychology/Anthropology/Labour & Social Welfare)/Health management/ Social

Sl.	Name of Post	Qualification & Experience
	Specialist	work/ Rural management. **Experience**: At least 3 years' experience of working with the Government/Non Government organizations in gender focussed themes.
3.	Research & Training Specialist	**Qualification**: Graduate in Social Sciences (Management/Sociology/ Psychology/Anthropology/Labour & Social Welfare)/Nutrition/Health management/ Social work/Rural management. **Experience**: At least 3 years' experience of working with the Government/ Non Government organizations in training and research on women related development work.
4.	Accounts Assistant	**Qualification**: Graduate/Diploma in Accounts/Commerce/Economics/Business Administration having accounts as a subject. **Experience**: At least 3 years' experience of working with the Government/ Non Government organizations in related domain.
5.	Office Assistant with computer knowledge	**Qualification**: Graduate with at least diploma in Computer Application/IT. **Experience**: At least 3 years' experience in data management, process documentation and web-based reporting formats, video conferencing at state or district level with government or Non-Governmental/ IT based organizations.
6.	MTS	10^{th} class pass under 10+2 system from any recognised board.

b. Human Resource @ District Hub for Empowerment of Women (DHEW)]

Sl.	Name of Post	Qualification & Experience
1.	District Mission Coordinator	**Qualification**: Graduate in Social Sciences (Management/Sociology/ Psychology/Anthropology/Labour & Social Welfare)/ Life sciences/ Nutrition/ Medicine /Health management / Social work/ Rural management. Post Graduates in these degree will be preferred. **Experience**: At least 3 years' experience of working with the Government/Non Government organizations in related domain.
2.	Gender specialist	**Qualification**: Graduate in Social Sciences (Management/Sociology/ Psychology/Anthropology/Labour & Social Welfare)/Health management/ Social work/ Rural management. Post Graduates in these degree will be preferred. **Experience**: At least 3 years' experience of working with the Government/Non Government organizations in gender focussed themes
3.	Specialist in financial literacy	**Qualification**: Graduate in Economics/Banking/Business Administration. Post Graduates in these degree will be preferred. **Experience**: At least 3 years' experience of working with the Government/Non Government organizations in financial literacy/financial inclusion focussed themes.

Sl.	Name of Post	Qualification & Experience
4.	Accounts Assistant	**Qualification**: Graduate/Diploma in Accounts/Commerce/Economics/Business Administration having accounts as a subject. **Experience**: At least 3 years' experience of working with the Government/Non Government organizations in related domain.
5.	Data Entry Operator for PMMVY Work.	**Qualification**: Graduate with at least diploma in Computer Application/IT. **Experience**: At least 3 years' experience in data management, process documentation and web-based reporting formats, at state or district level with government or Non-Governmental/ IT-based organizations.
6.	MTS	10th class pass under 10+2 system from any recognised board.

vii. उपर्युक्त पदों संबंधी सेवाओं की क्रय एवं आपूर्ति प्राप्ति के क्रम में सेवा प्रदाता एजेन्सियों को सेवा शुल्क इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार के नियमों/प्रावधानों के आलोक में भुगतेय होगा। क्रय एवं आपूर्ति प्रक्रिया के क्रम में एतद् संबंधी शुल्क नियोक्ता एवं सेवा प्रदाता कम्पनियों के मध्य Negotiable होंगे ताकि इस मद पर व्यय अल्पतम हो।

एतद् शुल्क सहित कर्मियों के पारिश्रमिकी पर अधिकतम व्यय कंडिका-4 (iv) के तहत् होगा।

viii. उपर्युक्त सभी पद पूर्ण रुप से अस्थाई एवं योजना अवधि तक होंगे। योजना समापन अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी प्रकार के संशोधन पर पद की प्रकृति, सृजित संख्या, पारिश्रमिकी भुगतान सहित अन्य शर्तें यथा समाप्त/संशोधित होंगे। एतद् क्रम में सेवा नियमितीकरण संबंधी आपूर्तिकर्त्ताओं/कर्मियों के किसी प्रकार का दावा अमान्य होगा।

ix. योजनान्तर्गत संचालित इन केन्द्रों के सुचारू कार्यान्वयन पर व्यय निम्नवत् की जायेगीः-

a. Costing Norms for State Hub for Empowerment of Women (SHEW)]

Sl.	Expenses	Annual Expenditure (Rs.)
	Per Year Expenditure	
1.	PMU @ State Level (8 Persons)	28.20Lakh
2.	Administrative cost @ 1 Lakh per month	12.00 Lakh
3.	Vocational Training @ State Level/District Level	12.00 Lakh
	Total (A)	**52.20 Lakh**
	Per Five Year Expenditure	
4.	Non-Recurring Expenditure (Computer Peripherals, Telephone, Fax, Internet, Furnishing for the ward & other rooms, CCTV Camera & its installation etc.) (Every five Year)	7.00 Lakh
	Total (B)	**7.00 Lakh**
	Per 05 Year Total Expenditure (A*5+B)	**268.00 Lakh**

b. Costing Norms for 24 District Hub for Empowerment of Women (DHEW)]

Sl.	Expenses	Annual Expenditure (Rs.)
	Per Year Expenditure	
1.	PMU @ District Level (8 Persons)	489.60Lakh

2.	Administrative cost @ 25, 000/- per month	72.00 Lakh
Total (A)		**561.60 Lakh**
Per Five Year Expenditure		
3.	Non-Recurring Expenditure (Computer Peripherals, Telephone, Fax, Internet, Furnishing for the ward & other rooms, CCTV Camera & its installation etc.) (Every five Year)	168.00 Lakh
Total (B)		**168.00 Lakh**
Per 05 Year Total Expenditure per DHEW (A*5+B)		**2976.00 Lakh**

x. योजना के कार्यान्वयन केन्द्रांश एवं राज्यांश के 60:40 के व्यय अनुपात में किया जायेगा तथापि Outsourcing से सेवा प्राप्ति के क्रम में भुगतेय GST का व्यय वहन शत् प्रतिशत राज्य मद से किया जायेगा।।

xi. कर्मियों की सेवा Outsource करने वाली एजेन्सियों को भुगतेय वस्तु एवं सेवाकर (GST), जो उपर्युक्त आकलित व्यय के अतिरेक होगी, का भुगतान तदेन प्रभावी दर पर राज्य मद (100% राज्यांश) से की जायेगी।

यद्यपि योजना का कार्यान्वयन SNA Module के अनुपालन में कराई जायेगी, अत एव राज्य मद से की जाने वाली एतद् अतिरेक व्यय का X-Flagging कर व्यय कराई जायेगी। एतद् संबंधी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मार्ग निर्देशों के अनुपालन में कार्रवाई की जायेगी।

xii. योजना का कार्यान्वयन SNA मापदंडों के आलोक में किया जायेगा। योजना कार्यान्वयन संबंधी समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कराया जायेगा।

xiii. भविष्य में गुणोत्तर व्यवस्था प्रतिस्थापन हेतु उपर्युक्त प्रावधानों में वित्त विभागीय सहमति से सकारात्मक संशोधन किया जा सकेगा।

5. योजना कार्यान्वयन हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष-2023-24 में केन्द्रांश अधीन रू०-336.00 लाख तथा एवं राज्यांश अधीन रू०-224.00 लाख अर्थात कुल रू०-560.00 लाख का बजटीय उपबंध प्राप्त है।

योजनान्तर्गत प्रति वर्ष रू॰-707.01 लाख का Recurring Expenditure तथा प्रति पाँच वर्ष में रू॰-175.00 लाख का Non-Recurring Expenditure आकलित है। एतद् Recurring Expenditure में रू०-368.28 लाख (60%) केन्द्रांश, रू०-245.52 लाख (40%) राज्यांश एवं रू०-93.21 लाख अतिरिक्त राज्यांश (GST वर्त्तमान के 18% दर पर) का व्यय अंशदान आकलित है। वहीं पंचवर्षीय Non-Recurring Expenditure में रू०-105.00 लाख (60%) केन्द्रांश, रू०-70.00 लाख (40%) राज्यांश का व्यय अंशदान आकलित है।

इनके दृष्टिगत् चालू वित्तीय वर्ष-2023-24 में (अंतिम छमाही के दृष्टिगत्) कुल रू॰-534.51 लाख का व्यय अनुमानित है।

6. योजना कार्यान्वयन पर व्यय हेतु राशि की निकासी केन्द्रांश, राज्यांश एवं अतिरेक व्यय अंश (निर्दिष्ट Flagging के) के निम्नवत् शीर्षों:-

(क) जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना- बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष -796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-B7 सामर्थ्य (मिशन शक्ति) के तहत् महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु केन्द्र ;

(ख) अन्य क्षेत्रीय उपयोजना- बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-103-महिला कल्याण, उपशीर्ष- B7 सामर्थ्य (मिशन शक्ति) के तहत् महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु केन्द्र ;

के उपर्युक्त अनुगामी शीर्षों/इकाईयों के तहत् किया जायेगा।

7. एतद् प्रावधान इसके संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

8. एतद् पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति के दिनांक-04.10.2023 को सम्पन्न बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है एवं इस पर माननीय योजना मंत्री, झारखण्ड सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

9. उक्त पर मंत्रिपरिषद् के दिनांक- 09.01.2024 की बैठक के मद सं0- 24 में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कृपा नन्द झा,
सरकार के सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 380 - 50